अध्याय VII: रक्षा मंत्रालय

हिन्दुस्तान ऐरोनोटिक्स लिमिटेड

7.1 आकस्मिक छुट्टी का अनियमित नकदीकरण

कम्पनी ने डीपीई में छुट्टी के नगदीकरण पर रोक वाले दिशानिर्देशों के उल्लंघन और उक्त दिशा-निर्देशों के पालन करने के मंत्रालय के निर्देशों के विपरीत कैलेण्डर वर्ष 2010-12 के लिए समाप्त वर्ष पर अप्रयुक्त आकस्मिक छुट्टी के लिए अपने कर्मचारियों को ₹ 12.43 करोड़ के उपस्थिति बोनस का भुगतान किया।

छुट्टी नियम 1967[1] और 1988[2] में प्रावधान है कि कम्पनी का पर्यवेक्षी स्टॉफ और गैर पर्यवेक्षी स्टॉफ आकस्मिक/अप्रत्याशित परिस्थितियों में अथवा मामूली अस्वस्थता में एक कैलेण्डर वर्ष में क्रमश: 7 और 12 दिनों की आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे। आकस्मिक छुट्टी कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। अगस्त 1988[3] में कम्पनी ने प्रत्येक अनुप्रयुक्त सीएल के लिए एक दिन के मूल वेतन का उपस्थिति बोनस अनुमत करते हुए 1967 के नियमों में संशोधन कर दिया बशर्ते कि यह 4 से कम और एक वर्ष में 10 से अधिक न हो। कम्पनी ने कैलेण्डर वर्ष 2010 से अन्य सभी कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस अनुमत करने हेतु मई 2010 में 1988 के नियमों में संशोधन कर दिया। इस प्रकार कम्पनी ने आकस्मिक छुट्टी का नकदीकरण अनुमत किया था।

अक्टूबर 2010 में लोक उद्यम विभाग (डीपीई) ने स्पष्ट किया कि सीएल का नकदीकरण नहीं किया जाना चाहिए और यह कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी। सीएल का कोई भी नकदीकरण अनुमत करना डीपीई द्वारा जारी नीति दिशानिर्देशों का उल्लंघन होगा। हालांकि डीपीई दिशानिर्देश प्राप्त होने के बावजूद भी कम्पनी ने अपने नियमों में संशोधन नहीं किया और अपने कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस का भुगतान

---

[1] *कार्मिक परिपत्र सं. 71, दिनांक 11 दिसम्बर 1967*

[2] *कामगारों के लिए कर्मिक परिपत्र सं. 582, दिनांक 15 जुलाई 1988*

[3] *कार्मिक परिपत्र संख्या 584, दिनांक 30 अगस्त 1988*

जारी रखा। 2010 और 2011 के दौरान ₹ 9.06[1] करोड़ की राशि का भुगतान किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा मंत्रालय को अनियमितताएं बताएं जाने (जुलाई 2012) के बाद इसने अपने वित्तीय विंग से विचार विर्मश करने के बाद कम्पनी को डीपीई दिशा निर्देशों का पालन करने तथा सीएल नकदीकरण अनुमत न करने का निर्देश दिया (नवम्बर 2012) । मंत्रालय ने इस संबंध में कम्पनी को की गई कार्रवाई रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत करने के लिए भी कहा।

मंत्रालय द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों के बावजूद भी कम्पनी ने मंत्रालय से विशेष मामले के रूप में कम्पनी के कार्य के हित में योजना को जारी रखने की अनुमति देने तथा योजना को जारी रखने का फिर से अनुरोध किया (फरवरी /अप्रैल 2013) । कम्पनी ने कामगारों तथा कार्यकारियों, दोनों को अप्रयुक्त सीएल के आधार पर 2012 के लिए उपस्थिति बोनस के रूप में जनवरी/फरवरी 2013 के दौरान 3.37[2] करोड़ की राशि का भुगतान किया था।

इस प्रकार कम्पनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के उल्लंघन तथा उक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन करने के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के निर्देशों के उल्लंधन में अपने कर्मचारियों को उपस्थिति बोनस के रूप में 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान कुल ₹ 12.43 करोड़ का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के पश्चात् परवर्ती निर्देशों के अनुपालन न करने पर मंत्रालय को पुन: बताया गया (अगस्त 2013), मंत्रालय ने कहा (अक्तूबर 2013) कि एचएएल ने तत्काल प्रभाव के साथ अधिकारियों के संबंध मे योजना को बंद कर दिया था तथा तब से औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार श्रमिको, प्रक्रियाओं के संदर्भ में उसे प्रारम्भ किया जा रहा था।

---

[1] ***वर्ष 2010 के लिए जनवरी /फरवरी 2011 के दौरान ₹ 4.87 करोड़ (कामगारों के लिए ₹ 3.98 करोड़ तथा कार्यकारी के लिए ₹ 0.89 करोड़ का भुगतान तथा वर्ष 2011 के लिए जनवरी 2012 के दौरान ₹ 4.19 करोड़ (कामगारों के लिए ₹ 3.19 करोड़ तथा कार्यकारियों के लिए ₹ 1 करोड़) का भुगतान।***

[2] ***कामगार ₹ 2.50 करोड़ तथा कार्यकारी ₹ 0.87 करोड***